राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

सुनील कुमार / भंवरलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	282/2021	1

03/12/21

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी हेतु प्रस्तुत हुई | संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद उनवानी भंवरलाल बनाम पवन कुमार वाद संख्या 32/2011 प्रस्तुत हुआ, जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30/07/2012 को वादी का वाद प्रारम्भिक डिक्री फरमा दिया गया जिसकी अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसका निर्णय इस न्यायालय द्वारा दिनांक 26/08/2019 को कर दिया गया, जिसके विरुद्द द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसमे माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 09/03/2021 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री के आदेश को बहाल रखा इस दरमियान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचाराधीन वाद में दिनांक 17/09/2012 को वाद में अन्तिम डिक्री पारित कर दी गयी | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सन्दर्भित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 17/09/2012 के विरुद्द प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी के साथ प्रस्तुत की गयी है | जिस पर बहस अभिभाषक पक्षकारान समायत की गयी |

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)

अभिभाषक प्रार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी में अंकित वंशावली की और हमारा ध्यान आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में मृत्तक नेमीचन्द पुत्र छीतरमल के प्रार्थीगण पुत्र है जिससे प्रार्थीगण प्रश्नगत आराजी के सहकृषक है एवं प्रार्थीगण के प्रश्नगत आराजी में अधिकार निहित है इस तथ्य की वादीगण को जानकारी होते हुये भी दावे में स्व. श्री जयकुमार के एक मात्र पुत्र सुशील को ही पक्षकार बनाया गया एवं यही नही वाद में दर्शाई गयी वंशावली में भी मृत्तक नेमीचन्द पुत्र छीतरमल, भैरुमल पुत्र हीरालाल, श्री प्रेमचन्द पुत्र लादूराम के सभी क़ानूनी उत्तराधिकारीयो के नाम छिपाते हुये कुछ व्यक्तियों के नाम ही अंकित किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वास्तविक सहकृषको की जाँच किये बिना वाद में दिनांक 30/07/2012 को प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री जारी कर दी गयी जो पूर्णत: अवैध है | अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 में अंकित वंशावली के अनुसार प्रार्थीगण का हक़ प्रश्नगत आराजी में निहित होने से प्रार्थीगण प्रभावित पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 17/09/2012 से होने से प्रार्थीगण को अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान की जावे एवं अपील का गुणावगुण पर निस्तारण फरमाया जावे |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

सुनील कुमार / भंवरलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
284/2021	2	

अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी/अपीलार्थी स्वयं अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से एवं दौराने बहस यह स्वीकार करते है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में उन्हें पक्षकार समायोजित नही किया एवं उस वाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री पारित कर दी गयी है जिसकी अपील वाद के अन्य पक्षकारान द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी जिसका भी निर्णय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा दिनांक 26/08/2019 को कर दिया गया है जिसकी द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत हुई थी जिसको माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्णित करते हुये प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30/07/2012 को पारित प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री को बहाल रखा गया है | अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में आगे निवेदन किया कि इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा वाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री के विरुद्द अपील प्रस्तुत की गयी है | अभिभाषक अप्रार्थी ने इसके सन्दर्भ में निवेदन किया कि प्रारम्भिक डिक्री में वाद में अंकित पक्षकारान के प्रश्नगत आराजी में निहित हिस्से की घोषणा होती है एवं अन्तिम डिक्री में मात्र प्रारम्भिक डिक्री में घोषित हिस्से के अनुसार मौके पर भौतिक कब्जे का निस्तारण होता है | अत: जब प्रार्थी प्रारम्भिक डिक्री में ही किसी प्रकार से हक व हिस्सेदार घोषित नही हुआ तो अन्तिम डिक्री के विरुद्द उसका अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नही रहता है | अत: प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील ही संधारणीय नही है एवं उसे अपील प्रस्तुत करने का अधिकार ही नही रहता है | अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी ख़ारिज फरमाया जाकर अपील ख़ारिज फरमाई जावे |

बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया | जैसाकी आदेश के प्रारम्भ में अंकित तथ्य प्रकरण में स्पष्ट किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में दिनांक 30/07/2012 को प्रारम्भिक डिक्री पारित की गयी है, जिसमे प्रार्थीगण पक्षकार वाद नही रहे है जिससे उनके प्रश्नगत आराजी के सन्दर्भ में किसी प्रकार के हक़ अधिकारों की धोषणा नही हुई है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सन्दर्भित प्रारम्भिक डिक्री के विरुद्द इस न्यायालय के समक्ष वाद के प्रभावित पक्षकार द्वारा प्रस्तुत अपील का निस्तारण हो चुका है, यही नही इस न्यायालय द्वारा अपील में पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्द माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष द्वितीय अपील होना जाहिर किया गया है जिसका भी निस्तारण माननीय राजस्व मण्डल द्वारा कर दिया गया है | वाद की उक्त समस्त प्रक्रियाओ के दौरान प्रार्थीगण पक्षकार वाद नही रहे है

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	282/2021 सुनील कुमार / नवरमल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

3

जिससे स्पष्ट रूप से प्रश्नगत आराजी में जो प्रारम्भिक डिक्री के माध्यम से पक्षकारान के हक़ अधिकारों की घोषणा होती है ऐसी कोई घोषणा प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण के हक़ में नही हुई है। प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री के विरुद्द अपील प्रस्तुत की गयी है जिसमे अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के बतौर प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी पक्षकार नही होने से प्रस्तुत किया गया। इस सन्दर्भ में यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा के वाद में, वाद में अंकित पक्षकारान के हिस्से की घोषणा प्रारम्भिक डिक्री के माध्यम से की जाती है एवं अन्तिम डिक्री के माध्यम से प्रारम्भिक डिक्री में पक्षकारान के घोषित हिस्से के अनुसार मौके पर भौतिक कब्जे का निस्तारण होता है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री के माध्यम से प्रश्नगत आराजी के सन्दर्भ में किसी हिस्से की घोषणा उसके पक्षकार नही होने से नही हुई है तो मौके पर उसके किसी हिस्से पर भौतिक कब्जे की अवधारणा भी निराधार रहती है। अत: उसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री के विरुद्द पक्षकार बन अपील प्रस्तुत करने का अधिकार भी नही रहता है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि प्रार्थीगण ने अपनी बहस के दौरान एवं प्रस्तुत अपील में भी यह अंकित किया है कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत द्वितीय अपील में पारित निर्णय दिनांक 09/03/2021 के विरुद्द माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत नजरसानी के माध्यम से प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण को प्रारम्भिक डिक्री के प्रकरण में पक्षकार बनाकर उसके अधिकारो का निस्तारण किया जाता है तत्तपश्चात ही वाद में पारित अन्तिम डिक्री के विरुद्द अपील प्रस्तुत किये जाने का अधिकार प्रार्थीगण में निहित हो सकता है, उससे पूर्व सीधे ही अन्तिम डिक्री के विरुद्द अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान नही की जा सकती।

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी ख़ारिज किया जाता है तदनुसार अपील अपीलार्थीगण संधारणीय नही रहने से ख़ारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 03/12/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर